फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

रामकुवार पिता श्रवण मीणा नि. गाडोली

बनाम

रामदेव पिता रोडु मीणा नि. खाना का खोहल्ला वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 677/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
21.06.23	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम **गाडोली** प. ह. **गाडोली** तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 692/3 **रकबा** 0.5400 हेक्टेयर भूमि है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम **गाडोली** प. ह. **गाडोली** तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 692/3 रकबा 0.5400 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक **रोपां** को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे। आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी,** **जहाजपुर(भीलवाडा)**	

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 169 एच)
पत्र संख्या :- 1 of 1

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक / रीडर / 2023 / 677 / 2023

निमित   दिनांक :–21.06.2023

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. स. 677/2023 अनवान रामकुवार पिता श्रवण मीणा नि॰ गाडोली बनाम रामदेव पिता रोडु मीणा नि॰ खाना का खोहल्ला, अमरसिंह पिता भुवाना मीणा नि॰ खाना का खोहल्ला, मांगीलाल पिता नाथु मीणा मीणा नि॰ खाना का खोहल्ला, बजरंग पिता रामचन्द्र मीणा मीणा नि॰ खाना का खोहल्ला वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

––––––

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम गाडोली प. ह. गाडोली तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 692/3 रकबा 0.5400 हेक्टेयर भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)